208 48 केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में कराधान पूर्व लाभ (पीबीटी) की गणना करने के प्रयोजन के लिए अप्रयुक्त पड़ी नकदी/बैंक शेषों पर ब्याज की कटौती और प्रदर्शन से संबंधित वेतन (पीआरपी) का वितरण।

अधोहस्ताक्षरी को उल्लिखित विषय पर इस विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) का हवाला देने का निदेष हुआ है।

2. केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के कार्यकारी अधिकारियों और गैर संगठन पर्यवेक्षकों के 2007 के वेतन संशोधन की लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के कराधान पूर्व लाभ (पीबीटी) की 5 प्रतिशत अधिकतम सीमा के अध्यधीन पीआरपी के भुगतान की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों/प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से पूछे गए प्रश्नों के जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रयुक्त पड़ी नकदी/बैंक शेषों पर ब्याज की पीबीटी से कटौती की जाए और पीआरपी का वितरण केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों की केवल मूल व्यावसायिक गतिविधियों से प्रोद्भूत लाभ के आधार पर किया जाए।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(8)/12–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XX/13, दिनांक 18 सितम्बर, 2013)

*****